रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267493
SG-DL-E-08112025-267493

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/ कार्तिक 15, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 319
No. 341] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/ KARTIKA 15, 1947 [N. C. T. D. No. 319

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

फा.सं. डीएच एंड एफडब्ल्यू/29/2025–एस ओसी–एचएफडब्ल्यू विभाग/ई–273676/societies HFW/184.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की जीएसआर संख्या 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एतद्द्वारा राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, मानव व्यवहार तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान, जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान में निदेशक के पद हेतु भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ .** (i) इन नियमों को निदेशक भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :–**पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता इत्यादि :–** भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं तथा इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

4. **अयोग्यताएं –** कोई व्यक्ति नही –

क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह सरकार के परामर्श से कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव**– इन नियमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निदेशक	01 (प्रत्येक)	श्रेणी 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–15 (182200–224100)	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**
(6)	(7)
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 62 वर्ष अर्थात् प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन। **टिप्पणीः–** **निदेशक का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा।**	**(क) अनिवार्य : –** **अभ्यर्थी के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिएः–** i. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग–II में शामिल मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। ii. आरजीएसएसएच और जेएसएसएच के लिए मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता (प्रासंगिक क्षेत्रों में एमडी/एमएस/एमडीएस/डीएम/डीएनबी) या समकक्ष, तथा

	सीएनबीसी हेतु– बाल चिकित्सा/बाल चिकित्सा सर्जरी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री। आईएचबीएएस – मनोचिकित्सा या तंत्रिका विज्ञान या संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री। डीएससीआई– कैंसर विज्ञान (ऑन्कोलॉजी) में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री। iii. स्नातकोत्तर उपाधि के बाद कम से कम 25 वर्ष का शिक्षण और/या अनुसंधान में अनुभव। iv. किसी मेडिकल कॉलेज/संस्थान में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर या समकक्ष के रूप में शिक्षण/गैर–शिक्षण का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव, जिसमें से अस्पताल/विश्वविद्यालय/ संस्थान के किसी विभाग में प्रोफेसर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। **7(ख) वांछनीय :–** i. संस्थान में विद्यमान स्पेशलिटीज/सुपर–स्पेशलिटीज में पोस्टडॉक्टरल योग्यता (डीएम/एमसीएच/पीएचडी/फेलो नेशनल बोर्ड/डीबी –सुपरस्पेशलिटी)। ii. सरकारी/निजी क्षेत्र में चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा सुविधा या सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में विभाग/संस्थान के प्रमुख के रूप में कम से कम पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। iii. अभ्यर्थी के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुक्रमित पत्रिकाओं आदि में विश्वसनीय शोध प्रकाशन होना चाहिए । iv. अभ्यर्थी, सम्बंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से पुरस्कृत एवं मान्यता प्राप्त हो।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)
यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति**	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के**

द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	**समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	**लिए संघ लोक सेवा आयोग/दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का परामर्श लिया जाना है।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति हेतु, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्वायत्त या सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों में सेः – क. मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; ख. कॉलम संख्या 7(क) के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन से गठित स्क्रीनिंग–सह–चयन समिति, जिसकी संरचना निम्नलिखित हैः– 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (राजस्व) : –अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (वित्त) – सदस्य 3. लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल के प्रमुख– सदस्य 4. जीबी पंत अस्पताल के प्रमुख – सदस्य 5. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के प्रमुख – सदस्य 6. प्रधानसचिव/सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) –सदस्य–सह–संयोजक।	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

तपस्या राघव, आईएएस, विशेष सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 4th November, 2025

F. No. DH&FW/29/2025-SOC-HFW Department/E-273676/societiesHFW/184.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, GSR No. 840 Dated 13th July 1959 National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital, Delhi State Cancer Institute, Chacha Nehru Bal Chikitshalay, Institute of Human Behaviour and Allied Science, and Janakpuri Super Speciality Hospital:-

1. Short title and commencement. (i) These rules may be called the Director Recruitment Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, Pay Level in the Pay matrix** attached thereto, shall be specified in column (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualifications** – No person-

a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law application to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** – Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6**. Saving –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories on persons in accordance with the order issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of Post**	**Classification**	**Level in Pay Matrix**	**Whether Selection or non-selection post**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director	01(Each)	Category 'A'	Level 15, (182200-224100) of the pay matrix	Not applicable

Age-limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
(6)	(7)
Upto 62 years as on last date of receipt of application i.e. 30 days from the date of publication of advertisement in Print Media. **Note:-** **Director shall have a term of 05 years from the date of assumption of the charge of the post or till he/she attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.**	**(a). <u>Essential</u>: -** The candidate should have: - i. A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956. ii. A recognized postgraduate qualification (MD/MS/MDS/DM/DNB in relevant fields) or equivalent for RGSSH & JSSH and for CNBC- A recognized Postgraduate Degree in Paediatrics/Paediatrics Surgery. IHBAS- A recognized Postgraduate Medical Degree in the field of Psychiatry or Neurosciences or allied Sciences. DSCI- A recognized Postgraduate Degree in Oncology. iii. Teaching and /or research experience of not less

	than 25 years after post graduation degree. iv. Minimum of ten years of teaching/Non-teaching experience as Professor/Associate Professor/Reader or equivalent in a medical college/Institute out of which Five-year experience as professor in a department of Hospital/University/Institute. **7 (b). Desirable: -** i. Postdoctoral qualification (D.M./ M.Ch/Ph.D/ Fellow National Board/DB-Superspeciality) in the specialities/super-specialties existing in the Institute. ii. Administrative experience of at least five years as Head of Department/Institute in the area of Medical Research, Medical Education, Medical Facility or Public Health Organization in Govt./Private Sector. iii. The candidate should have credible research publications in national and international indexed journals etc.. iv. The candidate having awards and recognition from National and International bodies in the field.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not Applicable	One Year.	Direct Recruitment failing which by Deputation (including short term contract)
In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which UPSC/DSSSB is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
For Deputation, From amongst the Officers of the Central Government, State Government, Union territories, autonomous or statutory organization, PSUs, University or Recognized Research Institution: -	Screening-cum-Selection Committee constituted with the approval of Hon'ble Governor, GNCTD with following composition:- 1. Addl. CS/Pr.Secretary (Revenue) : Chairman 2. Addl. CS/Pr. Secretary (Finance) : Member	**Not Applicable**

a. Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; b. Possessing the essential qualification and experience prescribed for direct recruitment under Column No.7(a).	3. Head of LNJP Hospital : Member 4. Head of GB Pant Hospital : Member 5. Head of MAM College : Member 6. Pr.Secy./Secretary(H&FW) : Member-cum-convener.	

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

TAPASYA RAGHAV, IAS, Special Secretary (H&FW)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.11.08 18:40:32 +05'30'